न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या–06 / 2026

1. श्रीमति गीता देवी पत्नि श्री जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– निगरानीकर्ता

बनाम

समस्त ग्रामवासी ग्राम फेफाना जरिये प्रतिनिधि –

1. रविन्द्र भादू पुत्र श्री सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. संदीप कुमार पुत्र श्री हजारीराम जाति ब्राहमण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
3. सत्यप्रकाश पुत्र श्री रणजीत सिंह जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजेश कुमार पुत्र सीताराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. बंजरग पुत्र श्री शेरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. श्रवण कुमार पुत्र श्री शेरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. कालू सिंह राजपूत पुत्र श्री कल्याणसिह जाति राजपूत निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. संतलाल पुत्र श्री इन्द्रजीत जाति हुड्डा जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. मनोज कुमार पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. हरिसिंह पुत्र श्री भीयांराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. श्रवण कुमार पुत्र श्री सोहनलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना जरिय संरपच ग्राम पंचायत निवासी फेफाना तहसील नोहर।
13. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पचांयत समिति नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. मदनलाल पुत्र श्री गणेशाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
15. वेदप्रकाश पुत्र श्री लिखमाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
16. बहादुर सिंह पुत्र श्री मिश्रीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
17. आनन्द प्रकाश पुत्र श्री लिखमाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

18. श्रीमति किरण पत्नि श्री पृथ्वीराज सोनी जाति सोनी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
19. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हरीश चन्द्र गोदारा जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
20. भूपसिंह पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
22. अभय पुत्र श्री भूपसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
23. अजय पुत्र श्री भूपसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
24. किशोर कुमार पुत्र श्री सहीराम जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
25. राकेश पुत्र श्री लिलाधर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
26. देवीलाल पुत्र श्री हरखाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
27. श्रीचंद पुत्र श्री काशीराम जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
28. ओमप्रकाश पुत्र श्री काशीराम जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
29. दयाराम पुत्र श्री काशीराम जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
30. शीशपाल पुत्र श्री रामेश्वर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
31. सरस्वती पत्नि श्री लालचन्द जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
32. सुमन पत्नि विनोद जाति ब्राहमण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
33. मीरा पत्नि श्री संतलाल जाति शर्मा (ब्राहमण) निवासी फेफाना तहसील नोहर।
34. आर्य समाज मन्दिर फेफाना जरिये अध्यक्ष धर्मेन्द सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
35. तारा देवी पत्नि बृजलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
36. समेस्ता पत्नि रूपराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
37. विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार व भादू जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
38. सिलोचना पत्नि श्री अजय कुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
39. सरोज पत्नि अभय कुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
40. आर्य समाज मन्दिर फेफाना जरिये अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
41. सार्वजनिक दयानन्द पार्क जरिये अध्यक्ष धर्मेन्द्र [illegible] निवासी फेफाना तहसील नोहर।
42. समेस्ता पत्नि भूपसिंह जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
43. सिलोचना पत्नि श्री अजय कुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

44. कलावती पत्नि श्री यशपाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
45. शकुन्तला पत्नि श्रीचरण सिंह जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
46. माया पत्नि श्री दौलतराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
47. विमला पत्नि श्री साहबराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
48. सावित्री पत्नि साहबराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
49. सावित्री पत्नि श्री जयसिंह जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
50. गीता पत्नि श्री पालाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
51. गीता देवी पत्नि श्री जगदीश जाति ब्राहमण साकिन फेफाना तहसील नोहर।
52. बिमला देवी पत्नि श्री वेदप्रकाश जाति ब्राहमण साकिन फेफाना तहसील नोहर।
53. कमला पत्नि मनफुल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
54. सुनिल कुमार पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
55. देवीलाल पुत्र श्री हरखाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
56. लिलाधर पुत्र श्री हरखाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
57. सुनिल पुत्र श्री शिशपाल भादू जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
58. दलीप पुत्र श्री भागीरथ सहारण जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर ।
59. मनीराम पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण साकिन फेफाना तहसील नोहर।

—तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थितः— श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या—1, 3 ता 11
श्री रोहिताश सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या—13

निर्णय दिनांकः— 21/04/2026

प्रार्थीया श्रीमति गीता देवी पत्नि श्री जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर द्वारा निर्णय दिनांक 29.10.2025 बअदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा अपील संख्या 97/2025 बअनवानी समस्त ग्रामवासी फेफाना जरिये रविन्द्र भादू आदि बनाम ग्राम पंचायत फेफाना आदि को, अपास्त करवानें बाबत निगरानी पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:09 IST
Reason: SelfAttested

1. अनावेदकगण सं. 1 ता 11 अपीलान्ट की तरफ से मातहत अदालत में अपील संख्याद 97/2025 व बअनवानी समस्त ग्रामवासी फेफाना तहसील नोहर जरिये प्रतिनिधि रविन्द्र भादू आदि बनाम सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना आदि इस कथन के साथ अपीलान्ट ने पेश कि अपील के तथ्य इस प्रकार है कि आबादी भूमि फेफाना में 100

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

वर्ष से भी अधिक समय से बरसाती पानी भण्डारण के लिए मुसानी जोहड़ी व आर्य समाज जोहड़ नाम से दो जोहड नाम से जोहड़ स्थित है जिनमें सदामत से आबादी भूमि का समस्त बरसाती पानी इकट्ठा होता रहा है। जो पानी पुराने समय से पीने के व पशुओं के पीने हेतु समस्त ग्रामवासियों के उपयोग–उपभोग में आता रहा है। उक्त दोनो जोहड़ में से एक जोहड़ का माप उत्तर से दक्षिण 500 फिट व पूर्व से पश्चिम 50 फिट है जिसके उत्तर में इन्द्रजीत हूड्डा नन्दलाल शर्मा आदि के पुराने मकान, दक्षिण में गोपीराम गोदारा, वेदप्रकाश शर्मा आदि के पुराने मकान व पश्चिम में रामप्रताप गोदारा, मदन गोदारा देवसीराम सहारण आदि के पुराने मकान स्थित है। इसी प्रकार दुसरे जोहड़ का माप उतर से दक्षिण 375 फिट, पूर्व से पश्चिम 430 फिट है जिसके उत्तर में गोपीराम गोदारा, वेदप्रकाश शर्मा के पुराने मकान, दक्षिण में सोहनलाल शर्मा, काशीराम स्वामी, श्योकत अली आदि के पुराने मकान पूर्व में धन्नाराम गोदारा, फुलाराम भादू, मोहरसिंह आदि के पुराने मकान व पश्चिम में भागीरथ सहारण, प्रदीप पुनियां, रामप्रताप पुनिया आदि के पुराने मकान है, जिसको मुसानी जोहड़ के नाम से जाना जाता है आबादी भूमि फेफाना बड़ी आबादी है जिसमें उपर वर्णित दोनो जोहड़ में बरसाती पानी इकट्ठा हो जाने से बरसात के दिनो में गावं में पानी भराव नही होने तथा उक्त पानी का पशुओं व निवासियों के उपयोग में लिया जाता रहा है। इसलिए समस्त ग्रामवासी फेफाना के इन दोनो जोहड़ो से हित जुडे है इस वर्ष दिनांक 30.08.2025 व 31.08.2025 को मानसुनी बरसात होन से गांव में पानी ईक्ट्ठा हो गया व घरो में जाने लगा। जिस पर अपीलार्थीगण व गांव के अन्य वाशिन्दगान द्वारा उक्त बरसाती पानी को उपर वर्णित दोनो जोहड़ो की और दिनांक 01.09.2025 को निकालना चाहा तो देखा कि उक्त दोनो जोहड़ो ने जगह–जगह मिट्टी से भती कर जोहड़ो की गहराई को कम कर रखा है। जिससे उक्त दोनो जोहड़ो में क्षमतानुसार पानी इक्ट्ठा नही होने के कारण बरसाती पानी गांव की गलियों व घरो में घुस रहा हैं इसलिए अपीलार्थीगण व अन्य गांव के वाशिन्दगान द्वारा ट्रेक्टरो आदि से जोहड़ गिराई गई मिट्टी को हटाते हुऐ दोनो जोहड़ो में गांव की गलियों व घरो में से इक्ट्ठे हुऐ पानी को डालना चाहा तो प्रत्यर्थीगण वहां आए तथा मिट्टी हटाने से रोकते हुऐ पानी निकालने से रोका व इस जगह के अपने अपने नाम से पट्टे बना रखे होना कहते हुए प्रत्यर्थीगण सं. 2 ता 8 ने पट्टों की नकल अपीलार्थीगण व [illegible] गांव के अन्य वाशिन्दगान को दी जिससे पता चला कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने प्रत्यर्थीगण सं. 2 ता 8 के पक्ष में अलग–अलग समय में उपर वर्णित मुसानी जोहड़ी व आर्य समाज जोहड़ की भूमि पर के अलग–अलग माप में पट्टे जारी कर रखे है तथा शेष प्रत्यर्थीगण ने भी अपने नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पट्टे बने होना बताया और उक्त पट्टो के आधार पर ही जोहड़ की भूमि पर मिट्टी भर्ती कर रखी होना बताया। जिससे उक्त दोनो में क्षमतानुसार पानी भण्डारण नही होने से बरसाती पानी गांव की गालियों व घरो में घुस रहा है। अपीलार्थीगण व उपस्थित शेष वाशिन्दगान द्वारा प्रत्यार्थीगण को पट्टे खारीज करवाने का कहने पर उन्होने मिट्टी हटाने व पट्टे खारीज करवाने के ईन्कार करते हुए यह धमकी दी की उक्त पट्टो के आधार पर वे जल्द ही पुख्ता निर्माण करेगे। जिस पर समस्त ग्रामवासियों द्वारा गांव में पचायत कर प्रत्यर्थीगण के पट्टे खारीज करवाने हेतु प्रत्यर्थी सं. 1 के समक्ष निवेदन किया गया तो उन्होने भी ईन्कार कर दिया। जिस पर समस्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्पति से अपीलार्थीगण को बतौर प्रतिनिधि पट्टो को खारीज करवाने हेतु कानूनी कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है। पट्टे मुसानी जोहड़ी व आर्य समाज जोहड़ की भूमि पर के जारी है। उक्त दोनो जोहड़ की भूमि सार्वजनिक हित की है, जिसका ग्राम पंचायत को सार्वजनिक हित के अलावा किसी निजी व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नही है। अपीलाधीन पट्टो में अधिकांश पट्टे पुराने गृहो के विनियमितीकरण के तहत नियम 157 के तहत जारी होना अंकित है जबकि यह भूमि जोहड़ की भूमि है जिसमें पानी का भण्डारण होता रहा है व पट्टा धारको का भी भी कब्जा या निर्माण नही रहा है इसलिए नियम 157 के तहत पट्टे जारी नही किये जा सकते है। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा कुछ पट्टे आबादी भूमि विक्रय विलेख के तहत नियम 167 में जारी होना अंकित है जबकि उक्त भूमि जोहड़ की भूमि है, जो सार्वजनिक उपयोग की है इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के नाम निलामी या अन्य किसी तरह से विक्रय नही किया जा सकता है। पट्टा बिना आपति नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही गुपचुप तरीके से कर जारी किये है। प्रत्यथी सं. 2 ता 47 ने पट्टो के आधार पर जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमण करते हुऐ मिट्टी आदि का भराव कर लिया जिससे बरसाती पानी का भण्डारण नही होने के कारण बरसाती पानी गांव की गलियों व घरो में घुस डुबने की कगार है इन पट्टो में अपीलार्थी सं. 9 ता 11 के पक्ष में भी पट्टे जारी है जो अपने पट्टो को सार्वजनिक हित में खारिज करवाने में सहमत प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा प्रत्यर्थीगण सं. 2 ता 47 के पक्ष में पट्टे जारी कर दिये जाने से प्रत्यर्थी सं. 2 ता 47 जोहड़ में जाने वाले पानी को रोक रहे है तथा ग्रामवासियों को उक्त जोहड़ की खुदाई करने व उक्त जोहड़ के सोन्दर्यकरण हेतु किये जाने वाले कार्य को भी पट्टो के आधार पर रोक रहे है इसलिए इन पट्टो को खारीज किया जाए। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन् 1994 की धारा 61 (1) के अन्तर्गत पेश अपील को दर्ज की जाकर पक्षकारान को सुनवाई नोटिस जारी किये गये व मौका निरीक्षण कमेटी को मौका निरीक्षण रिपोर्ट हेतु आदेशित किया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

उभय पक्ष को सुना एवं आवेदक एवं निगरानी कर्ता के स्वामित्व व आधिपत्य का भूखण्ड का पट्टा संख्या 5/2 दिनांक 05.10.2005 को नियमानुसार ग्राम पंचायत राज अधिनिमय के प्रावधानो के अनुसार पट्टा साधिकार आवेदक निगरानीकर्ता सं. 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत विधि अनुसार कार्यवाही करते जारी किया गया है। मगर मातहत अदालत ने बिना किसी सही विश्लेषण के निगरानी कर्ता के पक्ष में जारी पट्टा को दिनांक 29.10.2025 को खारिज कर दिया जिससे आवेदक प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होती है। जिससे आवेदक निर्णय दिनांक 29.10.2025 व अदालत मातहत अदालत को निरस्त करवाने हेतु तथा आवेदक के पक्ष में जारी पट्टा सं. 5/2 दिनांक 05.10.2005 को बहाल करवाने के लिए यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है, जो नियमानुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

1. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 29.10.2025 को पारित करते समय गहन अवलोकन नही किया है तथा निर्णय विधि सम्बत नही होने के कारण खारीज योग्य है।

2. मातहत अदालत ने मौका रिर्पोट विवादित स्थल को प्राप्त करते समय आवेदक को कोई सुनवाई व सबूत का अवसर नही दिया है । कतई एवं तरफ मौके पर जाकर तैयार न करके राजनैतिक द्वेषता से वंशीभूत होकर निर्णय दिनांक 29.10.2025 पारित किया है, जो कि काबिल निरस्तनीय है।

3. मातहत अदालत ने अपना निर्णय दिनांक 29.10.2025 बिना किसी विश्लेषण व अनुशीलन के कतई मनमाना एवं स्वेच्छाचारी नियम विरूद्व पारित किया गया है। तथा अनावेदकगण की अपीलान्टस की अपील अन्दर मियाद नही थी । नियमानुसार मियाद के बिन्दु काबिल खारीजी के है फिर भी अपील स्वीकार कर आवेदक प्रार्थी का पट्टा खारीज कर कानूनी भूल की है।

4. भूखण्ड आवदेक प्रार्थी व अकेले के स्वामित्व का है तथा जोहड़ की जगह कभी नही रही है तथा ना ही उपरोक्त जगह पर कभी जोहड़ पायतन था एवं ग्राम फेफाना में आवेदक प्रार्थी के भूखण्ड पर कभी भी जोहड़ पायतन नही रहा है परन्तु राजनैतिक वशीभूत होकर पट्टा जोहड़ की जगह का मानकर खारीज किया है। एवं मातहत अदालत ने कोई जॉच ना कर आवेदक को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर ना देकर निर्णय पारित किया है इसलिए निर्णय दिनांक 29.10.2025 बअदालत मातहत काबिल निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

5. ग्राम पंचायत फेफाना तहसील नोहर द्वारा दिनांक 17.07.1997 को भागीरथ शर्मा के नाम से पट्टा जारी किया था एंव उनकी मृत्यु के बाद में बंटवारानामा आवेदक प्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

के नाम पट्टा जारी किया गया एवं करीबन 12 वर्ष से भूखण्ड पर मकान बना हुआ है एवं मौके पर कभी जोहड़ नही रहा परन्तु राजनैतिक द्वेषता से पटटा खारीज कर दिया गया, जो कि मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय अपास्तनीय है।

6. अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट ने मातहत अदालत में पट्टा सं. 5/2 दिनांक 05.10.2005 को खारीज करने की अपील अन्दर मियाद नही थी। करीब 20 वर्षो बाद प्रस्तुत की है तथा ना ही देरी को माफ करने का कोई उचित सन्तोषजनक कारण पेश किया था। फिर भी मातहत अदालत ने अपील स्वीकार कर आवेदक के पक्ष में जारी पट्टा सं. 5/2 दिनांक 05.10.2005 खारीज कर कानूनी के मान्य सिद्धान्तों की अवहलेना की है तथा निर्णय इसी आधार पर मन्सुखी है।

7. मातहत अदालत ने आवेदक को सुनवाई व सबूत का समुचित अवसर ना देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अनदेखी की है तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल खारीजी के है।

8. निर्णय दिनांक 29.10.2025 बअदालत मातहत अदालत निर्णय की परिभाषा में नही आता है तथा उक्त निर्णय पारित करते समय मातहत अदालत ने अपना न्यायिक स्वविवेक उपयोग नही किया तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है एवं अपीलान्ट द्वारा पट्टो की एक साथ अपील पेश मातहत अदालत में पेश की जबकि प्रत्येक पट्टे की अपील अलग–अलग प्रस्तुत होनी चाहिए परन्तु मताहत अदालत द्वारा अलग – अलग पट्टो की अपील एक साथ स्वीकार का गलत निर्णय पारित किया है तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है।

9. निगरानी आवेदक न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की है तथा उचित कोर्ट फीस पर पेश है एवं अन्दर मियाद है।

अतः निगरानी आवेदक स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 29.10.2025 बअदालत मातहत निरस्त फरमाया जावे तथा पट्टा सं. 5/2 दिनांक 05.10.2005 बहक आवेदक प्रार्थी बहाल किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, ता 11 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या–12 बाद तामिल उपस्थित नहीं ... अप्रार्थी संख्या–13 की ओर से श्री रोहिताश सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुए ... अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निगरानी को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–13 द्वारा बहस में कथन किया गया कि न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर द्वारा सार्वजनिक हित में निर्णय पारित किया गया है, जो सही है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में गुणावगुण के आधार पर निगरानी का निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा मूल पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली का अध्ययन करनें पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 29.10.2025 को पारित निर्णय में अंकित किया कि *"ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी पट्टे सार्वजनिक उपयोग की भूमि व रास्ता की भूमि पर होनें के कारण खारिज किया जाता है व मौका निरिक्षण कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त सार्वजनिक जोहड़ो की भूमि व रास्ता आम की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु ग्राम पंचायत को आदेशित किया गया जाता है तथा साथ ही सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर उपर वर्णित पट्टो के अलावा अन्य कोई पट्टा जारी है तो व पट्टा इस निर्णय अनुसार खारिज समझा जावे मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा पेश नक्शा अनुसार जगह को ग्राम पंचायत के अधिकार की सार्वजनिक जोहड़ो की व सड़क की भूमि घोषित किया जाता है"।*

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2025 को पारित निर्णय में सार्वजनिक उपयोग व रास्ता की भूमि पर ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी पट्टों को खारिज किया गया। न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 97/2025 में दिनांक 29.10.2025 को पारित निर्णय सार्वजनिक हित में है। अतः न्यायालय पंचायत समिति नोहर के निर्णय के हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21/5/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:09 IST
Reason: SelfAttested

(संजू पारीक आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)